बिजली विधेयक 2021 निजीकरण की दिशा में एक कदम है: आल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन

ऑल-इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) ने बिजली संशोधन विधेयक, 2021 के मसौदे का विरोध करते हुए इसे निजीकरण की दिशा में एक कदम बताया है।

यह जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ के प्रवक्ता वी.के. गुप्ता ने कहा कि बिजली समवर्ती सूचि में है और राज्यों ने विद्युतीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। जब बिजली संशोधन विधेयक, 2021 के मसौदे की बात आती है तो मोदी सरकार सत्ता के इस नाजुक संतुलन को झुकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 निजी खिलाड़ियों के नाम पर प्रवेश बाधाओं को कम करने के लिए बिजली वितरण को डी-लाइसेंस करना चाहता है खंड में प्रतिस्पर्धा पैदा करके अंततः उपभोक्ताओं को कई सेवा प्रदाताओं में से एक को चुनने में सक्षम बनाएगा।

मुंबई में दो निजी कंपनियां अदानी और टाटा महानगर को बिजली की आपूर्ति करती हैं। दोनों कंपनियों के अपने-अपने जनरेटिंग स्टेशन हैं और फिर भी मुंबई में टैरिफ देश में सबसे ज्यादा है।

प्रयास (ऊर्जा) समूह पुणे द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि मुंबई में समानांतर लाइसेंसिंग के संचालन के परिणाम उम्मीदों के विपरीत रहे हैं, क्योंकि यह अनावश्यक मुकदमों की एक श्रृंखला, आसमान छूते खर्च, भारी उपभोक्ता शुल्क और नियामक असफलता के साथ हुआ है। । इससे पता चलता है कि मुंबई में प्रतिस्पर्धा कैसे विफल हुई है और उपभोक्ताओं को कैसे नुकसान हुआ है।

सीईआरसी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. प्रमोद देव ने कहा है कि मुंबई में उपभोक्ता द्वारा चुनने का प्रावधान विफल हो गया है और बिजली विधेयक 2021 का प्रस्तावित संशोधन उपभोक्ता की पसंद के लक्ष्य को प्राप्त कर परिणामस्वरूप कम टैरिफ नहीं करेगा।

संशोधन में यह विचार किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारी के फ्रेंचाइजी को संबंधित नियामक आयोग से इस तरह के संचालन के लिए कोई अलग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा वितरण लाइसेंसधारी आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार बना रहेगा।

मसौदा संशोधन "अनुबंधों के प्रदर्शन को लागू करने" के लिए एक विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) की स्थापना करना चाहता है। बिल का प्रस्ताव है कि जब तक भुगतान की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तब तक कोई भी बिजली अनुबंध के तहत निर्धारित या प्रेषित नहीं की जाएगी।

गुप्ता ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से कुछ राज्य सरकारों द्वारा निजी ताप संयंत्रों और सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली खरीदने के लिए अपने पूर्ववर्तियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के प्रयास के संदर्भ में है। राज्य सरकारों का उद्देश्य उपभोक्ता के लिए बिजली की यूनिट लागत को कम करना है। केंद्र उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के बजाय निजी बिजली कंपनियों की लाभप्रदता के बारे में अधिक चिंतित है।

एआईपीईएफ के प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य सब्सिडी को कम करना और खासकर बिजली क्षेत्र के वितरण खंड में निजीकरण को बढ़ावा देना है । प्रस्तावित संशोधन इस क्षेत्र में दीर्घकालिक संकटों को दूर करने में विफल हैं और केवल इसकी गिरावट में तेजी लाएंगे। कोविड की स्थिति में बिजली जैसे एक प्रमुख क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन करना, केंद्र-राज्य संबंधों को बदलना और एक आवश्यक वस्तु की लागत में वृद्धि की संभावना पैदा करना, तर्क की अवहेलना करता है।